Impact Factor 6.261 ISSN- 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOW ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

UGC Approved Multidiciplinary international E-research journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

18th Feb. 2019 Special Issue- 130 (II)

THE ROLE OF GOVERNMENT TO PROTECT THE HUMAN RIGHTS

Chief Editor
Dr. Dhanraj T. Dhangar
Assist. Prof. (Marathi)
MGV'S Arts & Commerce college,
Yeola, Dist. Nashik (M.s.) India

Executive Editor of This Issue
Dr. Vanmala Govindrao Gundre
Principal
Yashwantrao Chavan College, Ambajogai. Dist. Beed.

Co-Editor
Dr. Ahilya Barure
Dr. D.R. Tandale
Dr. D.B. Tanduljekar

Scanned with CamScanner

54. मानवी हक्काचा जागतिक दृष्टीकोन 148
प्रा.डॉ.मानवते उत्तम हुसनाजी

55. मानवाधिकार: विकास व अंमलबजावणी 150
प्रा. रमेश एकनाथ भारुडकर

56. मानवाधिकार आणि महिला 152
खंडेराव हरिभाऊ काळे

57. मानवी अधिकारासाठी शिक्षण 154
पवार बापूराव भगवानराव

58. मानवी हक्क : संकल्पना आणि आवश्यकता 157
प्रा. पवार मनोरमा श्रीधर

59. मानवी हक्काच्या रेषा पुसट करणाऱ्या काही कथा 159
डॉ. दिलीप ज्ञा. भिसे

60. भारतीय महिलाएँ और मानवाधिकार 151
प्रा.सोनवणे राजेंद्र जगन्नाथ , प्रा. पोटकुले हिरा तुकाराम

61. मानवी हक्क आणि भारतीय संविधान 163
अजय श्रीधर फड

Scanned with CamScanner

RESEARCH JOURNEY International Multidisciplinary E-Research Journal | ISSN-
Impact Factor - (SJIF) – 6.261, (CIF) - 3.452, (GIF) –0.676 Special Issue – 130 (II) | Feb. 2019 | UGC
The Role of Government to protect the Human Rights

भारतीय महिलाएँ और मानवाधिकार

प्रा.सोनवणे राजेंद्र जगन्नाथ
त्वरितापूरी कला व विज्ञान महाविद्यालय
शिवाजी नगर गढी ,गेवराई,बीड.

प्रा. पोटकुले हिरा तुकाराम
कला व विज्ञान महाविद्यालय तलवाडा,गेवराई,बीड

मानवाधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जिनका अधिकार प्रत्येक मानव को हो साथ ही इन अधिकारो का संरक्षण आवश्यक और महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार के कारण मानव की गरिमा बढ़ती है और उसे समाज में सम्पन्नता एवं सोहार्द्र मिलता है। मनुष्य को कुछ अधिकार प्रकृति से प्राप्त हे और कुछ अधिकार देश के संविधान से मिले है जिनका उपयोग करके मनुष्य अपना सर्वांगिण विकास कर सकता है। मानव अधिकारों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही है साथ ही सामाजिक,आर्थिक,आत्मिक राजनीतिक और आध्यात्मिक भावनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश विश्व में शांती,सदभाव,प्रेम को निर्मित करना था। किसी भी जाति,लिंग,धर्म,भाषा का कहीं पर भी भेदभाव न हो और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक जीने का एवं अभिव्यक्ति का अधिकार हो। मानव अधिकारों के निर्माण में संयुक्त राष्ट्र महासंघ का उद्देश था कि मानव न तो मानव अधिकारों का हनन करे और न स्वयं हनन का शिकार हो। भारतीय संस्कृति में भी सदेव से ही मानव अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जिसके विभिन्न प्रमाण हमे वेद,पुराण,गीता,रामायण,महाभारत आदि ग्रंथो में मिलते है। हमारे भारतीय संविधान में भी मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि मानव को जन्म से प्रकृति से ही प्राप्त है और संविधान से अधिकार मिले है वास्तव में वे उपयोग में आते है या नही ? भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से नारी को सर्वोपरी स्थान है परंतु गत वर्षो में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया है। नारी वह पहलू हैं जिसके बिना किसी समाज की रचना संभव नहीं है, जो विश्व का पालन-पोषण करती है। महिलाएँ जनसंख्या का आधा भाग होती है फिर भी इस पितसिंत्तात्मक समाज व्यवस्था में उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है,उसकी सदा निंदा की जाती है। जीवन के हर क्षेत्र में उसके साथ भेदभाव होता रहा है। भारतीय समाज में परिवारों में आज भी पुत्रों को पुत्रियों से अधिक महत्व दिया जाता है। महिलाओं के साथ भेदभाव,अभद्र व्यव्हार और छेड़छाड,घरों,सड़कों,बगीचों,कार्यालयों सभी स्थानों पर होने वाली हिंसा में वृध्दि हुई है। भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां की संस्कृति और इतिहास में महिलाओं को सन्मानजनक स्थान प्राप्त है। वैदिक काल में पिता अपनी पुत्री विवाह के समय उसे सार्वजनिक कार्य और कलाओं में उत्कृष्टिता प्राप्त करने का आशिर्वाद देता है। परंतु कालांतर में विभिन्न कारणों से भारतीय समाज में महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक स्थिति निरंतर कमजोर होती गई और पुरुष प्रधान समाज द्वारा मर्यादा और अधिनता स्विकार करने के लिए विवश कर दिया गया है। 1967 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लिंग आधारित भेदभाव मिटाने की दिशा में प्रयास किये है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृति घोषणापत्र के अनुच्छेद 30 में नागरिक, सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक,सांस्कृतिक मानवाधिकारों के संबंध अनेक उपबंध किये है। 'सार्वभौम घोषणा'ने मानवाधिकारों को स्पष्ट रुप में परिभाषित किया है। इस घोषणा ने संपूर्ण विश्व के समक्ष मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक मानक स्थापित किया है। स्त्रीयों और पुरुषों के बीच समता को बढ़ावा देना और स्त्रियों कि स्थिति को सुधारने की प्रेरणा संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकारो की सार्वभौम घोषणा से प्राप्त हुई है। महिलाओं के विकास के लिए संपूर्ण विश्व में महिला उत्थान व विकास के प्रति चेतना जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिलाओं के कल्याण हेतु 1975 से 1984 इस दशक को महिला दशक घोषित किया गया। इस दशक में महिला शिक्षा,रोजगार,समान राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक,नागरिक अधिकार,लिंग भेदभाव मिटाने,नीति निर्धारण में महिलाओं को सम्मिलित करने की घोषणाएँ की गई। 'विश्व महिला वर्ष ' घोषित करने के पश्चात अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया परंतु महिलाओं की स्थिति,उनकी दशा में विशेष सुधार नहीं हो पाया। महिलाएँ चाहे शहरी हो या ग्रामीण शोषण,हिंसा की शिकार होती रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए प्रत्येक महिला को शिक्षित होना आवश्यक है तब ही अपने मानवाधिकारों का उपयोग कर सकेगी और देश के विकास में अपना सहयोग दे पायेगी। भारतीय संविधान में पूरे सम्मान के साथ उसके नागरीक तथा राजनैतिक अधिकारों का संरक्षण दिया गया हे। संविधान निर्माताओं ने स्वस्थ एवं सम्यक समाज निर्माण के लिए संविधान में मानवाधिकार के महत्व को बनाए रखा है। भारतीय संविधान में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में वर्णित अधिकारों के अनुरुप बिना किसी भेदभाव के सभी स्त्री और पुरुषों के लिए समान रुप से अधिकारों का उपबंध किया है। भारत में महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करने के साथ-साथ ग्रामीण परिवेश में रहनेवाली महिलाओं के कल्याण के लिए भी हर राज्य में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। आज महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है। इस समय सरकार द्वारा किये गये राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एक सराहनीय प्रयास है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा महिलाओं के हितों के संरक्षण,संवर्धन और कानूनी अधिकारों की रक्षा का प्रयास किया जा रहा है। आज भारतीय महिलाओं ने विश्व के हर क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया है उनके हौसले को बढ़ाने के लिए सरकार उनके साथ खडी दिखाई देती है। भारत सरकार गाँव,जंगल में. पहचान खोई महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के स्वास्थ,खाद्य,पोषण,सुरक्षा उनकी आवश्यकताओं ,सुविधाओं ,शिक्षा, रोजगार,न्याय जेसे उपक्रमों के माध्यम से उनका विकास करने के लिए तत्पर है।

भारत में समाज सुधारकों और स्त्री संगठनों के प्रयत्नों के परिणामस्वरुप स्त्रियों की स्थिति में सुधार महिलाओं का उत्थान विकास के हेतु स्वतंत्र भारत का संविधान में स्त्री-पुरुष समानता,1955 हिंदू विवाह अधिनियम विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार विशेष परिस्थितियों में विवाह- विच्छेद की व्यवस्था साथ ही बहु-पत्नी विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1956 में 'हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम "हिंदू नाबालिग और संरक्षता अधिनियम,स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम ओर 1961 में दहेज निरोधक पारित किये गये। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बिल का प्रारुप तैयार किया है जिसके तहत स्त्रियों की शालीनता को आघात पहुँचाना,लड़कियों का लगातार पिछा करना ,कोई ऐसी वस्तु भेजना जो आपत्तिजनक हो यह कानून की संज्ञा में अपराध है। समाज में,परिवारों में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में अपराधियों को दंड देने का प्रावधान है मूल संवैधानिक अधिकारों में समानता के अधिकार का महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। इस अधिकार के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के साथ सार्वजनिक नौकरियों में समान अधिकार है,समान वेतन का अधिकार है।

Scanned with CamScanner

आज भारतीय आम महिलाओं की यह स्थिति है की वह यह नही जानती की उसे कोन-कौन से अधिकार प्राप्त है,उसके कल्याण के लिए कौन-से कानून बने है ? इससे आम नारी अनभिज्ञ है। महिलाएं अपने अधिकारों को जान सके इसके लिए सभी महिलाओं को शिक्षा मिलना आवश्यक है। उनको कानूनी अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। सरकार में योजनाओं एवं नीतियों की पारदर्शिता हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित किया है। इस अधिनियम के विषय में अधिकांश जनता जागरुक नहीं है। महिलाएँ सूचना के अधिकार का यदि सोच समझकर प्रयोग करें तो अपने विरुध्द किये गये विभिन्न प्रकार के अन्याय से मुक्त हो सकेगी। इस संबंध में महिलाओं को जागरुक बनाने की आवश्यकता है। आज सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र,संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनो के बावजूद भी समाज में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता प्रतिदिन दिखाई देता है खास तौर पर महिलाओं के संबंध में। महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में हीन दर्ष्टि,उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को आज भी अपने मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना पड रहा है इसका प्रमुख कारण है कि उसे शारीरिक रुप से कमजोर समझा जाता है और आर्थिक रुप से पुरुषों पर निर्भर होने के कारण सदियों से महिलाओं का शोषण और यौन उत्पीड़न होता रहा है। आज की स्थिति में महिला पहले से भी ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है क्योंकि प्रतिदिन महिलाओं के उत्पीड़न,अत्याचारों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में घर के अंदर और बाहर महिलाओं को शोषण तथा दमन का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को परिवारों में हिंसा,भ्रुण हत्या,शिशू हत्या,दहेज प्रताड़ना,मारपीट, यौन शोषण शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है। हालांकि शहरों में तो स्थिति सुधर रही है परंतु गावों में आज भी महिला शिक्षा में भेदभाव किया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति में महिलाओं से संबंधित अपराधों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने के साथ-साथ नये नये विकर्तिं रुप सामने आ रहे है। इससे यह स्पष्ट होता है की संविधान,शिक्षा,सामाजिक मर्यादा,नारी महत्व के बावजूद भी अत्याचारों में वर्ध्दि होना चिंता की बात है। महिलाओं को मानवाधिकार मिले है परन्तु जब तक महिलाओं स्वतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होती तब तक बाहरी चेष्टाएँ परिणामकारक नहीं हो सकती। भारत में रहने वाले व्यक्ति किसी भी जाति,वर्ग,धर्म के अनुयायी हो,वे सामाजिक व्यवहार में पुरुषप्रधान संस्कर्तिं के भारतीय ही है। क्योंकि मनु के काल में नारी के संबंध में जो हीन भावना का बीज बोया है वह आज भी भारत के 'जन'के खून में है। भारतीय पुलिस तथा प्रशासन को इस योग्य नहीं बनाया गया कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करना अपना कर्तव्य माने इसिलिए पुलिस में हिंसा,हत्या और बलात्कार को गंभीरता से लेने की प्रवर्त्ति नहीं है इस सोच में परिवर्तन आवश्यक है। मानवाधिकारों के संबंध में जानकारी देने,उनमें जागरुकता उत्पन्न करने के लिए और जो मानवाधिकार का उल्लंघन कर्ताओं को दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए मीडिया,स्वयंसेवी संगठनों व महिला संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जनसाधारण को विभिन्न माध्यमों के द्वारा मानवाधिकारों के संबंध में अधिक से अधिक शिक्षित करने का प्रयास निश्चित रुप से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा

➢ संदर्भ सूची :-

१. भारतीय समाज एवं मानवाधिकार- अनिता कोठारी
२. National Journal of Multidisciplinary Research and Development Volume 2; Issue 2; May 2017; Page No. 256-261
३. https://www.pravakta.com/women-and-human-rights/

Scanned with CamScanner